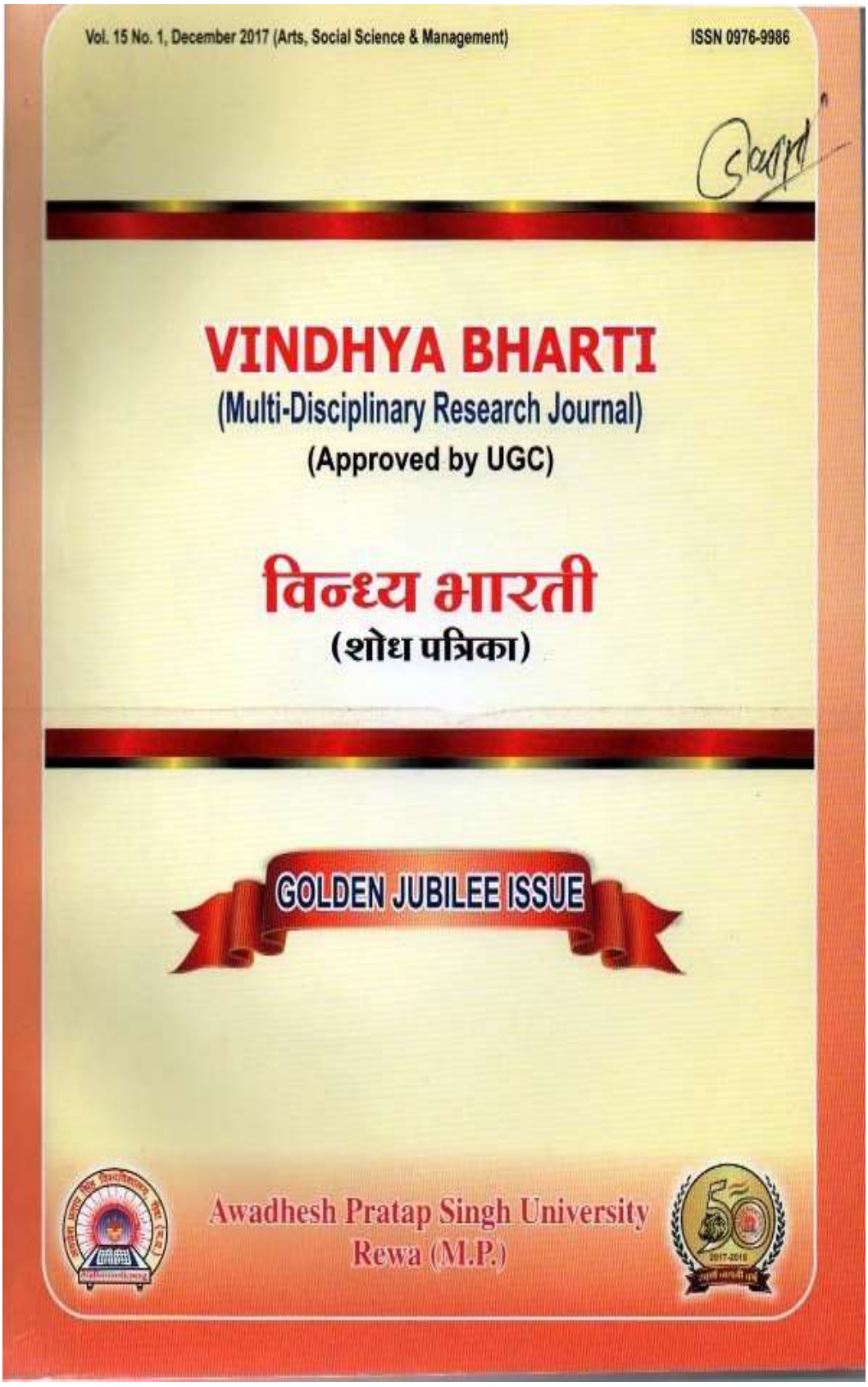
Vol. 15 No. 1, December 2017 (Arts, Social Science & Management)
ISSN 0976-9986
VINDHYA BHARTI
(Multi-Disciplinary Research Journal)
(Approved by UGC)
विन्ध्य भारती
(शोध पत्रिका)
GOLDEN JUBILEE ISSUE
Awadhesh Pratap Singh University
Rewa (M.P.)

Content

1.	Rooting Feminism to India	Prof.Shubha Tiwari	01
2.	Modern Indian Women Writers : An Overview	Nalini Gupta	04
3.	Relition and Secularism in Literature : A Reflection	Prof.Mrinal Srivastava	07
4.	आत्मकथा परम्परा और हरिवंश राय बच्चन	डॉ. प्रभा सिंह	10
5.	भारतीय नारी, नये प्रश्न और नयी चुनौतियाँ	डॉ.राघवेन्द्र तिवारी एवं वर्षा सिंह	15
6.	साहित्य और पत्रकारिता के अन्तः सम्बन्ध	डॉ.बारे लाल जैन एवं वर्षा तिवारी	20
7.	चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य और स्त्री संघर्ष	मोनिका कुशवाहा	23
8.	रीतिकालीन कवियों का सौन्दर्य कबोध	डॉ.मधुलिका दुबे एवं वर्षा तिवारी	27
9.	लोक जीवन में मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता	डॉ.मृगेश कुमार निरत	31
10.	रामायण का वर्ण्यविषय दार्शनिक चिन्तन	डॉ.सरोज सिंह	35
11.	ग्रामीण विकास में कृषि उद्योग की भूमिका : एक विश्लेषण	प्रो.दीपा श्रीवास्तव एवं पूजा शुकला	39
12.	उपभोक्तावाद एवं भयावह समस्या : आखिर उपाय क्या	प्रा.एन.पी.पाठक एवं डॉ.सुनील कुमार	43
13.	धर्म व विज्ञान का एक आलोचनात्मक अध्ययन	डॉ.रश्मि तिवारी एवं डॉ.आराधना मिश्रा	50
14.	वैदिक काल में यज्ञ परम्परा	डॉ. रिमता मिश्रा	54
15.	पिण्डारियों के इतिहास का संक्षिप्त अध्ययन	डॉ.शालिक राम मिश्र	57
16-	Impact of Intervention Strategies in Promoting Mental Health of Adults	Dr.Anupam Singh, Dr.Preetam Singh Dr.Shashank Pandey	61
17.	Work Passion : A Pre-requisite for Organization Productivity	Arti Chaturvedi & Prof.Anjali Srivastava	67
18.	संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारो का अध्ययन	डॉ.शशि त्रिपाठी एवं अजय चौधरी	70
19.	गांधी जी के मत में आदर्श राज्य की अवधारणा	स्मिता तिवारी	74
20.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शैक्षिक अभिवृत्ति का अध्ययन	डॉ.दिव्या श्रीवास्तव	77
21.	पर्यावरण के प्रति बच्चों में अभिवृत्ति का शैक्षिक विकास	डॉ.स्वर्णलता तिपाठी	81
22.	भारत केन्द्रित शिक्षा एवं उसकी प्रतिस्थापना में शिक्षक की भूमिका	डॉ.देवेन्द्र कुमार मिश्र डॉ.कमलाकर प्रसाद पाण्डेय	84
23.	A Study of Academic Achievement and Mental Health of Secondary Level Students with Respect to Gender Differences	Dr.D.S.Baghel & Preeti Parmar	90
24.	अनुसूचित जनजातियों में शैक्षणिक दशा का समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ.एम.एम.द्विवेदी एवं सरस्वती राठौर	92
25.	शास्त्री संगीत की अद्वितीय स्वर धारा मैहर वाद्यवृन्द एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच	डॉ.संतोष कुमार पाठक एवं वाणी साठे	96
26.	संगीत शिक्षण पद्धति आधुनिक परिप्रेक्ष्य में	वाणी साठे	98
27.	अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन	डॉ.श्रीकान्त मिश्र	101
28.	भारतीय नीतिकारों के चिन्तन में मानवीय मूल्यों की दार्शनिक विवेचना	देवदास साकेत	104
29.	पर्यावरण प्रबन्धन एवं ऑडिटिंग	कु.ज्योति गोयल	110
30.	IDEA of God in Nyaya Philosophy, A Brief Survey	Sarla Sahu	113
31.	Research Journal on Moksha according to Arya Samaj	Dr.Suman Singh	116
32.	Role of Value Education to Prevent Violence Against Women	Dr.Satya Deva Mishra	118
33.	Yoga Sadhana for the life-style dis-ease	Dr.Sanjay Baraskar	122
34.	Causes And Symptoms of Malnutrition in Adolescent Girls of India	Dr.Urmila Sharma & Tarika Singh	127

35.	Infants and Breast Feeding	Dr.Monica Joshi	130
36.	Governance in India : Initiative and Challenges	Dr.Archna Katoch	132
37.	Effect of Faculty of Job Satistaction on Student Work Performance	Dr.Preagya Singh, Shweta Hotwani & Prof.Anjali Srivastava	136
38.	Role of Social Media Marketing in Building Brand Loyalty	Prof.Deepa Shriavastava & Nancy Motwari	143
39.	Impact of Sales Promotion Schemes on Consumer Satisfaction Level in Food and Beverage	Dr.Anand Singh & Dr.Atul Pandey	146
40.	A. Empirical Study on Online Shopping Behavior of Hostelerw With Sepecial reference to Rewa city	Alka Digwani	151
41.	Benefit and Techniques of Covert Advertising in India	Anshula Kushwah	155
42.	A Study on the Perception of Customer Towareds Promotional Strategies used in Bollywood Movies with Special reference to Undergraduate Students of Cewa city	Pankaj Singh, Harshit Pratap Singh Alka Digwani	160
43.	Social Media as a Tool of E-marketing	Prof.Deepa Srivastava Monika Pandey	164
44-	Performance Management System as Prism Cement Limited Satna (M.P.)	Dr.Sushma Tiwari & Dr.Sunil Kumar Tiwari	169
45.	Ethics and Values in Indian Women Perspective	Dr.Usha Tiwari	173
46.	Rural Tourism a Boon to Indian Economy	Isha Kaur Rakhra & Dr.Anjana Dubey	176
47.	A Study of Consumer Behaviour and Demand for Packaged Milk with special reference to Indore city	Dr.Utkal Kushwaha	180
48.	A Study of Skill Development	Kirti Gautam & Dr.R.P.Gupta	185
49.	E-Marketing - A New Way for Business	Smita Sahu & Dr.Abdul Hakim	189
50.	बाल श्रम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रय एवं राष्ट्रीय कनूनों का अध्ययन	कमलेश मौर्य	191
51.	सूत्रकालीन शिक्षण व्यवस्था	डॉ.नीलम श्रीवास्तव	196
52.	अंतरविश्वविद्यालय कबड्डी के खिलाड़ियों की शारीरिक शिक्षा एपं खेलों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ.रामरजी मिश्र	200
53.	विवेकानन्द साहित्य में मोक्ष का स्वरूप	डॉ.रश्मि पटेल	203
54.	A Comparative Study of Social Intelligence of Single Child and Child with Sibling	Nirdosh Chauhan & Prof. Ashok Kuamar Srivastav	208

No. 15 Vol. I ISSN 0976-9968 December, 2017

बाल श्रम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन

कमलेश मौर्य

सारांश :

हमारे सामने बालश्रम एक गंभीर समस्या है, कि ये बालक कैसे सुशिक्षित सभ्य नागरिक बनकर भारत के विकास में अपना योगदान दे। इन बालकों को भी इस प्रकार की सुविधाएँ व अवसर प्रदान किये जाये। जिससे वे भी सुखी जीवन बिता सकें। इसके लिए हमें उनके जीवन रूपी किताब खोलकर देखना होगा व जीवन की समस्याओं का सूक्ष्म अन्वेषण करने पर ही उनका भविष्य सुधारा जा सकता है। यह शोधपत्र इस प्रयास को पाने का पहला कदम है।

बाल्यावस्था जीवन की बगिया रूपी राष्ट्र की वह सुन्दर कली है, जिसे पुष्प के रूप में खिलकर राष्ट्र को महकाना होता है। इसी अवस्था में व्यक्ति भी विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में वृद्धि विकास होता है। बाल्यकाल में ही विकास की नीव रखी जाती है। क्योंकि आज का बालक ही भावी जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करता हैं। बालक शब्द का अर्थ हैं, "वह व्यक्ति जिसने अभी युवावस्था प्राप्त नहीं की और युवावस्था का तात्पर्य व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक परिपक्वता से होता है।

बाल मजदूरी (निषेध और नियम) अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चे की परिभाषा हैं। "वह जो 14 साल की उम्र से कम का हो।" इस प्रकार किसी उद्योग, खान, कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के मानसिक एवं शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं।"

बाल्य जीवन के महत्व को भारतीय ऋषि मुनियों ने भी बताया है, जो आज भी संस्कृत साहित्य में धरोहर के रूप में संजोए रखा है। यह ही नहीं पाश्चात्य विद्वानों ने वो यहाँ तक सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं, कि बाल्यावस्था में ही जीवन के निर्माण पर ही व्यक्ति के तीवन की सफलता या असफलता निर्भर करती हैं बाल्यकाल को ही शिक्षण काल कहा गया है। हम इसी अवस्था में भाषा, कौशल, अच्छी–बूरी आदतें आदि सीखते हैं। शिक्षण अलग–अलग होकर बाद तें समन्वित हो जाता है। जिसे हम व्यवहार सभा रूप में जानते हैं। इस तरह हमारे जीवन पर्यन्त प्रभावित करने वाले व्यवहार समानरूप की नीव बचपन में ही पड़ती है।

वर्तमान समय में देश में बाल कल्याण का जन्म बाल श्रम के प्रचलन के फलस्वरूप हुआ। औद्योगिकरण ने जहाँ लघु और वृहत उद्योगों का विकास किया वही मालिकों के मन में अधिकतम लाभ प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। अतः मालिकों को बालक के रूप में वह श्रमिक दृष्टिगोचर होता है, जिसे कम वेतन देकर अधिक से अधिक कार्य लिया जा सके। इन बाल श्रमिकों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। अधिक श्रम करने के फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य व पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। युवावस्था के बाद ही अधेड़ावस्था तक तो यह बालक रूपी श्रमिक विभिन्न मुसीबतों को झलते हुए स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। इसी तरह की शिक्षा व अपने बच्चों को भी देता है।, जो उसे उसके माता–पिता से विरासत में मिली है और फिर शुरू होता हैं। "एक नये बाल श्रमिक का जन्म" व सिलसिला जारी रहता है। आज का बालक ही कल का नागरिक बनेगा।

बाल श्रम की उत्पत्ति :–

बाल श्रम का उद्भव तब हुआ जब पूँजीवादी वर्ग द्वारा मुनाफा बढ़ाने का उद्देश्य से मजदूरों के बच्चों का सामाजिक व अमानवीय शोषण किया गया। जहाँ अमेरिका में पूँजीवादी व्यवस्था की मजबूती हेतु दास प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। वही पूँजीवाद के जन्मदाता देश इंग्लैण्ड में 1853 में चार्टिस्ट आन्दोलन ने सर्व प्रथम बाल श्रम की अमानवीय प्रक्रिया की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट किया।

बाल–श्रम समिति (1979) के अनुसार भारत में मुख्य रूप से बाल श्रम के 17 क्षेत्र है ये क्षेत्र इस प्रकार हैं खेती, कालीन बुनाई, जरी व कशीदाकारी, दिया

शोधार्थी–विधि, शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

No. 15 Vol. I ISSN 0976-9968 December, 2017

सलाई, पटाखा, मशीन औजार सुधारने की दुकान, पेट्रोल पंप, काजू जूट उत्पादन, घरेलू कामगार, कैंटीन होटल, ढाबे, दुकाने, कूड़ा बिनाई, भवन निर्माण, हाँकर फेरी वाले, अखबार बेचने, कुली आदि। शायद ही कोई धंधा होगा जिसमें मालिक बच्चों का शोषणन न करे।

बाल श्रमिक की अवधारणा :

किसी भी राष्ट्र की भावी स्थिति का अनुमान वहाँ के बच्चों को देखकर लगाया जा सकता है क्योंकि ये बच्चे ही देश के भावी कर्णधार है। देश का विकास एवं प्रगति बच्चों के विकास पर ही निर्भर है। यदि देश के बच्चों का सर्वागीण विकास हो जाए तो देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक विकास स्वतः ही हो जायेगा। बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। उसका विकास माँ के खान–पान, रहन–सहन, आचार–विचार, स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। जन्म के बाद 6 वर्ष बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बाल्यावस्था जीवन की नाजूक एवं संवेदनशील अवस्था है। बच्चे कोरे कागज के समान है। जिस तरह से कोरे कागज पर हम जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, उसी तरह से बच्चों को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं।

बालश्रम का अर्थ एवं परिभाषा :

बाल श्रम शाब्दिक रूप से संक्षिप्त दो शब्दों को मिलाकर बना है। प्रथम "बाल" और द्वितीय श्रम। बाल का अर्थ बालक ही वास्तविक अवस्था और श्रम के अर्थ के श्रम की स्थिति, कार्य भार तथा सामर्थ्य है। निश्चित ही 'बाल श्रम' को कोई सर्वमान्य परिभाषा की परिधि में रखना कठिन है। भिन्न–भिन्न दृष्टिकोण से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। सिल्वा ने 'बालक' को परिभाषित करते हुए उस अवस्था (आयु) को माना है, जिसके तहत बालक को उसके मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए संरक्षण आवश्यक है जब तक कि वह स्वतंत्र रूप से वयस्क के समरूप ना हो जाये। बाल श्रमिक वर्तमान समय में 'कामगार–बच्चा' अथवा नियोजित बच्चा का ही पर्याप्त है। होमर फोकस जो संयुक्त राज्य राष्ट्रीय बाल श्रमिक समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने बाल श्रमिक को इस प्रकार परिभाषित किया है– 'बच्चों द्वारा किया गया कोई कार्य जो उनके काम से कम शिक्षा या मनोरंजन की आवश्यकता में विघ्न डालती हैं।

श्री व्ही.व्ही. गिरी के अनुसार :

बाल श्रम की व्याख्यास सामान्यतः दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथमतः एक आर्थिक व्यवसाय के रूप में व द्वितीय बाल श्रम सामाजिक बुराई के रूप में। प्रथमतः बाल श्रम का अर्थ है परिवार की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बालकों की ऐसे कामों में लगाना। जिससे कि कुछ आमदानी हो सके। दूसरे सन्दर्भ में 'बाल श्रम' उन बुराईयों या शोषणों की अभिव्यक्ति है जो कि बालकों को रोजगार में लगाने के फलस्वरूप बनी है।

बाल श्रम का उपयोग सामान्यतः बुरा नही है, परन्तु जिन परिस्थितियों एवं जिन शर्तों पर इन्हें काम पर लगाया जाता है, वह बुरा है। इस आशय की एक कहावत है कि बचपन में काम करना सामाजिक अच्छाई है एवं यह राष्ट्रीय हित में भी है, परन्तु इसके साथ–साथ बाल श्रम एक सामाजिक बुराई व राष्ट्रीय अपव्यय भी है।

अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किऐ जाते रहे इन सभी प्रयासों का मूलभूत उद्देश्य विश्व के सभी बच्चों को उनके मूलभूत अधिकारों को प्रदत्त करता रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के इन मूलभूत अधिकारों को 54 अनुच्छेदों में सम्मिलित करते हुए बाल अधिकार कन्वेशन में पारित किया गया है। जो कि निम्न लिखित है :–

अनुच्छेद 1 में :– 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है, बशर्ते की सम्बन्धित देश की सरकार द्वारा इससे पहले उन्हे कानूनन बालिग घोषित न कर दिया हो।

अनुच्छेद 2 में :– सभी बच्चों को सभी प्रकार के भेदभाव से संरक्षण प्रदान करना।

अनुच्छेद 3 में :– बच्चों की सर्वाधिक अनुकूल अभिरूचियों पर पूर्ण ध्यान दिया जावेगा।

अनुच्छेद 4 :– में वर्णित अधिकारों को वास्तविकता में परिणित करना।

अनुच्छेद 5 में :– माता–पिता एवं अभिभावक परिवार के बच्चे की उदविकसित होती हुई क्षमताओं के अनुकूल मार्गदर्शन प्रदान करने के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का सम्मान करना आदि का राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 6 :– प्रत्येक बच्चों को जीवित रहने एवं

No. 15 Vol. I ISSN 0976-9968 December, 2017

समुचित विकास करने।

अनुच्छेद 7 में :– जन्म से ही नाम एवं राष्ट्रीयता प्राप्त करने।

अनुच्छेद 8 में :– नाम, राष्ट्रीयता एवं पारिवारिक सम्बन्धों की पहचान का संरक्षण सुनिश्चित करने।

अनुच्छेद 9 में :– माता–पिता के साथ रहना सुनिश्चित करने।

अनुच्छेद 10 में :– अपने माता–पिता का पुनः एकीकरण करने हेतु किसी देश को छोड़ने अथवा अपने देश में प्रवेश किये जाने।

अनुच्छेद 11 में :– बच्चों के अवैध स्थानांतरण एवं गैर वापसी सुनिश्चित करने तथा

अनुच्छेद 12 में :– बच्चे को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले अथवा कार्य नीति में उसकी आय को महत्व प्रदान करने सम्बन्धी व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु राज्य का दायित्व निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार

अनुच्छेद 13 में :– बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद 14 में :– विचार, आत्मा की आवाज एवं धर्म की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद 15 में :– उन्हें संगठित होने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 16 में :– इसके संबंध मतें गोपनीयता का संरक्षण तथा

अनुच्छेद 17 :– उपयुक्त सूचना तक उसकी पहुँच सुनिश्चित किया जाना थी राज्य का ही दायित्व निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 18 में :– बच्चों के पालन–पोषण का प्राथमिक उत्तरदायित्व यद्यपि माता–पिता दोनों का निर्धारित किया गया है। लेकिन राज्य को इस कार्य में उनकी सहायता करने का उपबन्ध भी रखा गया है।

अनुच्छेद 19 में :– बच्चों के दुरूपयोग एवं उन्हें उपेक्षा से संरक्षण,

अनुच्छेद 20 में :– उन्हें गोद लिए जाने हेतु उनकी आवश्यकताओं सुरक्षाओं तथा सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अधिकृत किया जाना।

अनुच्छेद 22 में :– शरणार्थी बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान किए जाने।

अनुच्छेद 23 :– बाधित बच्चे को अधिकतम संभव सहायता प्रदान किये जाने।

अनुच्छेद 24 :– स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने,

अनुच्छेद 25 :– उनकी देखभाल संरक्षण अथवा उपसंचार की सुविधा उपलब्ध कराने,

अनुच्छेद 26 से 27 में :– उन्हें सामाजिक सुरक्षा सहित एक उपयुक्त जीवन स्तर से लाभान्वित होने,

अनुच्छेद 28 से 29 में :– प्रत्येक बच्चे को कम से कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से सुलभ करने हेतु तथा प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व एवं प्रतिभाओं के विकास करने जैसे सभी अधिकारों को सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराने हेतु भी राज्य का दायित्व ही निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 30 में :– अल्पसंख्यक समुदायों तथा देशी मूल के लोगों के बच्चों को अपनी संस्कृति का आनंद लेने तथा अपने निजी धर्म एवं भाषा को प्रयोग में लाना।

अनुच्छेद 31 में :– सभी बच्चों के रिक्त समय मे खेलने तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों मे सम्मिलित होने,

अनुच्छेद 32 में :– बालश्रम को रोकने

अनुच्छेद 33 में :– सभी बच्चों को नशीले एवं मन प्रभावी मादक द्रव्यों के प्रयोग तथा उनके उत्पादक अथवा वितरण में सम्मिलित होने से संरक्षण प्रदान किये जाने।

अनुच्छेद 34 में :– उन्हें लैंगिक शोषण से संरक्षण प्रदान करना।

अनुच्छेद 35 व 36 में :– बच्चों के विक्रय, व्यापार एवं अपहरण का रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने।

अनुच्छेद 37 में :– उनका उत्पीड़न, निर्दयतापूर्ण बर्ताव अथवा दण्ड, मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास तथा अवैध कैद आदि से संरक्षण प्रदान करने।

अनुच्छेद 38 में :– सभी बच्चों को सैन्य में सम्मिलित होने से संरक्षण प्रदान करने।

अनुच्छेद 39 में :– सैन्य संघर्ष, उत्पीड़न दण्ड, उपेक्षा, दुर्व्यव्यवहार, अथवा शोषण के शिकार बच्चों को पुनः सुधार और सामाजिक पुर्नएकीकरण के लिए उपयुक्त उपचार प्रदान करने।

अनुच्छेद 40 में :– बाल न्याय का प्रशासन में सभी बच्चों को अपने मानव अधिकारों के लिए सम्मान तथा

No. 15 Vol. I ISSN 0976-9968 December, 2017

विशेष रूप से अपने बचाव की तैयारी करने तथा प्रस्तुत करने में विधिक अथवा सहायता सहित विधि सम्यक प्रक्रिया से लाभान्वित होने।

अनुच्छेद 41 में :– सर्वाधिक प्रचलित मानदण्ड़ों के प्रति सम्मान और उन्हें लागू करने जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 42 से 45 में :– के प्रावधान इस बात की विशेष रूप से पहले ही व्यवस्था निर्धारित करते हैं कि बच्चो को प्रदत्त अधिकारी का वयस्को के साथ–साथ बच्चों को भी व्यापक रूप से जानकारी प्रदान कराने का दायित्व राज्य का हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर बालश्रम के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित है :–

संवैधानिक प्रौंवधान :– भारतीय संविधान के बच्चों के अधिकारों की रक्षा तथा उनका शोषण न किये जाने हेतु निम्न अनुच्छेदों में समुचित प्रावधान है।

अनुच्छेद 14 :– प्रत्येक व्यक्ति का कानून के समझ समता का अधिकार भले ही वह किसी भी आयुवर्ग का हो।

अनुच्छेद 15 :– बच्चो के हित के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबन्ध किया जाना संवैधानिक दृष्टि से विभेदकारी नहीं।

अनुच्छेद 21 :– प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त भले ही ने किसी आयुवर्ग के हो।

अनुच्छेद 21 (क) 86 वें संविधान संशोधन 2002 के प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दिये जाने के फलस्वरूप 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार का दायित्व निर्धारित।

अनुच्छेद 23 :– मानव (सभी आयु के बच्चे सहित) के दुर्व्यवहार और बालात् श्रम पर प्रतिबंधित।

अनुच्छेद 24 :– बच्चों के जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चिम करने के उद्देश्य से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को कारखाने खान में तथा जोखिम भरे अन्य कार्यों में अलाना प्रतिबंधित।

अनुच्छेद 29 (2) बच्चे को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से वंचित करना प्रतिबंधित।

अनुच्छेद 32 :– सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन (बच्चो के हितार्थ) भी के लिए निदेश, आदेश या रिट जारी करने के अधिकारिता।

अनुच्छेद 39 (ड.) :– सरकार द्वारा अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करना कि सुनिश्चित दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से मजबूत होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो।

अनुच्छेद 39 (च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाऐं उपलब्ध हो तथा बालकों को शोषण से रक्षा हो।

अनुच्छेद 41 :– अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कराने क़ा राज्य का दायित्व है।

अनुच्छेद 45 :– (यथा संशोधित 2002) :– 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल व शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कराना राज्य का दायित्व।

अनुच्छेद 47 :– सभी लोगों (बच्चो सहित) के पोषाहार को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच प्रत्येक माता–पिता/अभिभावक का शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना मौलिक कर्तव्य निर्धारित।

अनुच्छेद 51 (क) (ट) :– अपने बच्चे या प्रति पाल्य को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बीच प्रत्येक माता–पिता/अभिभावक का शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना मौलिक कर्तव्य निर्धारित है।

सुझाव :–

बाल श्रम की प्रथा को समाप्त किया जा सकता है और ऐसा करना आवश्यक भी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहली जरूरत है राजनैतिक इच्छाशक्ति तथा बाल श्रमिक के प्रति समाज के सकारात्मक दृष्टिकोण की। बाल श्रम उन्मूलन के लिए सबसे पहली जरूरत यह भी है कि बाल श्रमिकों के प्रति कुछ अन्य उपाय भी किए जाए।

मानव जाति का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज के बच्चों को कैसी शिक्षा–दीक्षा मिलती है। कोमलगति बालकों को सुरूचि की ओर मोड़ना तथा

No. 15 Vol. I ISSN 0976-9968 December, 2017

उनके रचनात्मक भावना भरने की जिम्मेदारी माता–पिता और गुरू के साथ ही आज के उन प्रशिक्षित वयस्कों की है जो अनुभूति, भावना एवं कल्पना से इस पुनीत कार्य में लगे है। यदि भावी कर्तव्य तथा दायित्वों के निर्वाह के लिए सक्षम बनाया जा सका तथा उनकी शक्तियों तथा प्रकृतियों को जनकल्याण की ओर मोड़ा जा सका तो निश्चित ही सहिष्णुता सद्भाव प्रेम मानवीय एकता तथा राष्ट्रीय निष्ठा को व्यापक रूप से संभव किया जा सकेगा।

निष्कर्ष :–

बाल श्रम के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि अनेकों कानूनी व सामाजिक व्यवस्थाओं और दावों के चलते हुए भी विश्व के अधिकांश देशों में बड़ी मात्रा में आज भी बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों को प्रदान करना तो दूर इस दिशा में किए जा रहे प्रयासो के समक्ष निज नई चुनौतियाँ उपस्थित हो रही है। आज उन्हें विभिन्न तरीकों से शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक रूप से प्रताड़ित करके, उनका दैहिक शोषण करने में मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने के लिए ऐसी तकनीकों और प्रविधियों तक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो मानवता के नाम पर कलंक है।

सन्दर्भ :–

1. बाल मजदूरी (निषेध और नियम) अधिनियम 1986
2. बाल मजदूरी (निषेध और नियम) अधिनियम 1986
3. बाल–श्रम समिति (1979) के अनुसार
4. श्री व्ही.व्ही. गिरी के अनुसार
5. बाल अधिकार कन्वेशन के अनुसार
6. भारतीय संविधान के अनुसार
7. पांडे जे.एन. भारत का संविधान पृष्ठ 81–82
8. बेयर एक्ट, भारत का संविधान (कानून प्रकाशन) पृष्ठ 21
9. संविधान संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 4 के अनुसार

शोध ग्रंथ प्रस्तुती पूर्व शोध केन्द्र पर सम्पन्न साक्षात्कार का प्रतिवेदन

शोधार्थी द्वारा अपना शोध कार्य पूर्ण करने के पश्चात् पीएच.डी. के नवीन अध्यादेश क्रमांक 90 के तहत शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने के पूर्व शोध केन्द्र शासकीय विधि महाविद्यालय, उज्जैन में शोध विषय से सम्बन्धित प्रस्तुती पूर्व (Pre Submission) साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

उक्त प्रस्तुती पूर्व साक्षात्कार में विधि विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अरूणा सेठी महोदया एवं शोध केन्द्र के अतिथि विद्वानों द्वारा शोध प्रबंध के संबंध में शोधार्थी का साक्षात्कार लिया गया एवं शोध प्रबंध की विषयवस्तु एवं उसके संयोजन आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये, जिन्हें मेरे द्वारा अपने शोध प्रबंध में समाहित किया गया।